क्रम सं॰	अनुसूचित नियोजन का नाम
42.	जिल्दसाजी
43.	कपड़े की छपाई
44.	चावल मिल, आटा और दाल मिल
45.	तेल मिल
46.	दर्जी उद्योग
47.	कोल्ड स्टोरेज
48.	चीनी मिट्टी के बर्तन या प्रतिरक्षणशाला
49.	क्लब
50.	निजी छपाईखाना
51.	सार्वजनिक मोटर परिवहन
52.	यांत्रिक परिवहन कार्यशालाएं
53.	आटोमोबाइल मरम्मत कार्यशाला
54.	लकड़ी कार्य और फर्नीचर
55.	कालीन बुनाई उद्योग
56.	हौजरी कार्य
57.	धातु विनिर्माणशालाएं
58.	50 से कम कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग
59.	कोई भी ढलाईशाला
60.	टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग
61.	अभ्रक उद्योग
62.	लाख उद्योग
63.	स्थानीय प्राधिकरण
64.	(क) पचास से पांच सौ कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग (ख) पांच सौ और उससे अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले इंजीनियरी उद्योग
65.	वनस्पति तेल उद्योग
66.	निजी पुस्तकालय
	भाग-II
67.	कृषि में रोजगार
68.	खानिकी में रोजगार

Labour Movement in the Era of Liberalisation

2351. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Labour Movement of our country has been severely hit due to liberalisation policy;

(b) whether changing technology has also made labour the worst sufferers;

(c) whether labour in unorganised sector is being exploited badly;

(d) whether Government have no arrangements to impart training to the labour in the new technology;

(e) whether Government proposes to take some steps for welfare of labour in view of parts (a) to (d); and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No Sir.

(b) and (c) No Sir. Restructuring of industries is a natural phenomenon associated with industrial growth.

(d) to (f) No Sir, Government has established National Renewal Fund in 1992 to provide a social safety net for the workers affected by industrial restructuring, technology upgradation, modernisation of industries. It inter-alia envisages assistance, counselling, retraining and redeployment of workers who may become redundant.

Sections Observing Guidelines in D.G.E.&T.

2352. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply given to Rajya Sabha Unstarred Question 1935 dated 1st August, 1996 and state:

(a) the Section in D.G.E.& T. which are observing those guidelines;

(b) the names of those Sections which are looking after the administration relating work of the various subordinate offices;

(c) whether the guidelines are being observed in these Sections also; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The guidelines issued vide Para 22 of Manual of Office Procedure brought out in

March, 1987 are being observed by Administration-I, Administration-II, Administration-III, Budget & Planning, Foreign Training Administration, Cash Branch, Hindi Unit. Advanced Vocational Training System, Training Craftsmen and Trade Testing Cell Sections in D.G.E.& T.

(b) to (d) Administration-II, Training Administration-I, Training Administration-II, Women Occupational Training, Employment Exchanges-II and Employment Exchanges-III Sections in D.G.E.& T. are looking after the administration relating work of its various subordinate offices. As far as possible, the above mentioned guidelines are being observed by these Sections. However, the proposals submitted by the subordinate offices are required to be examined from administrative and technical angles, therefore, it is difficult to follow the guidelines in toto.

मजदूरों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दर

2353. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश भर में मजदूरों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दरें क्या-क्या हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इन मजदूरों को यथा-निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के संबंध में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में समुचित सरकारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले अनुसूचित रोजगारों के क्षेत्रों में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करवाने के लिए प्रवर्तन तंत्र गठित करने का प्रावधान है। प्रवर्तन तंत्र नियमित निरीक्षण करता है और जब कभी अधिनियम का कोई उल्लंघन उनके ध्यान में आता है, तो उन पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल, कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.1.97 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य सरकार/संघ-शासित क्षेत्र का नाम	न्यूनतम मजदूरी की दरें और पिछले संशोधन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु० से 42.40 रु०* प्रतिदिन (12.2.96)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु० से 23.00 रु० प्रतिदिन (1.1.94)	रोजगार के अनुसार और क्षेत्रानुसार दरें भिन्न हैं
3.	असम	33.00 रु० से 44.30 रु०* प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
4.	बिहार	27.30 रु० से 39.70 रु० प्रतिदिन (21.12.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं